मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन – 462004

क्रमांक एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 11 सितंबर, 2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिए प्रावधानित राशि के संबंध में।

संदर्भ :– विभाग का ज्ञाप क्रं0 8–1/96/एक(1), दि0 30 सितंबर, 97/17 अक्टूबर, 97 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2005, 10 अक्टूबर, 2005, 10 जुलाई, 2006

–––

कृपया संदर्भित निर्देश सुलभ संदर्भ हेतु आपकी और जानकारी हेतु प्रषित हैं।

(एस0एस0 बंसल)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन – 462004

क्रमांक एफ.ए. 8–1/96/एक(1)   भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 1997/17 अक्टूबर, 1997

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–   माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे – पुनरीक्षित अनुदेश।

माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे से संबंधित विस्तृत अनुदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1546–1614–एक (1), दिनांक 3 मई, 1971 द्वारा जारी किये गये थे। इन अनुदेशों में समय–समय पर कुछ संशोधन भी किये गये। वर्तमान स्थिति में इन अनुदेशों के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है, अतः पूर्व प्रसारित सभी ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन ने निम्नानुसार पुनरीक्षित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया है :–

01. मंत्रीगणों द्वारा जनसंपर्क दौरे उनके प्रभार के आवंटित जिलों में किये जाएंगे।

02. जनसंपर्क दौरे का उद्देश्य यह होगा :–

(क) आम जनता से निकट संपर्क स्थापित करना,

(ख) स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका यथा–संभव निराकरण करना,

(ग) जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करना,

(घ) स्थानीय शिकायतों को यथा–संभव स्थल पर ही दूर करना.

03. मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिए रूपये 2.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र की दर से राशि का आवंटन मांग संख्या–1–2013–मंत्रिपरिषद्–9939–मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान–55 से प्रत्येक वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को सौंपा जाएगा, जो जिले के प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को सौंपा जाएगा, जो जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर स्वीकृति जारी करेंगे। स्वीकृत आदेश में प्रयोजन का पूर्ण ब्यौरा रहेगा। यदि अनुदान राशि किसी निर्माण कार्य क लिये स्वीकृत की गई है तो आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसमें जनता का अंशदान (जो धन, सामग्री अथवा श्रमदान के रूप में हो सकता है) कितना होगा। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन/कार्य के लिये ही हो। अनुदान राशि के लेखे नियमानुसार कलेक्टर द्वारा संधारित किये जाएंगे। लेखाओं का मासिक विवरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश को प्रेषित किया जाएगा।

04. जनसंपर्क दौरा अनुदान के अंतर्गत योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं कर सकेंगे। अर्थात् योजनाओं का चयन पूरी तरह जिले के प्रभारी मंत्री के स्वविवेक पर होगा।

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29.04.2000 द्वारा जनसम्पर्क दौरे के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र आवंटित होने वाला 2 लाख रूपये की राशि में से 25 हजार रूपये की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुनिश्चित की जायेगी जिनकी अनुशंसा सांसद करें। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए 8–3/2004/एक(1) दिनांक 25.04.2005 के द्वारा उपरोक्त निर्देश की कण्डिका–4 में दो लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र की राशि निर्धारित की गई है इसमें वृद्धि कर इसे प्रति विधानसभा क्षेत्र 2.25 लाख रूपये निर्धारित किया जाता है। इस परिवर्तन के क्रम में मान. सांसद की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये की जाती है।

05. **जनसंपर्क दौरा अनुदान.** – माननीय मंत्रीगण सार्वजनिक उपयोगिता की आवश्यक योजनाओं के लिये निम्नलिखित शर्तों पर वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकेंगे :–

1. अनुदान की राशि एक योजना/कार्य पर रूपये 15,000/– से अधिक नहीं होगी।

2. अनुदान राशि शहरी अथवा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये स्वीकृत की जा सकेगी। इसके लिए क्षेत्र की जनसंख्या का कोई बंधन नहीं रहेगा।

3. निर्माण कार्य के लिये अनुदान राशि स्वीकृत किए जाने की स्थिति में जनता का अंशदान निर्माण कार्य की कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।

4. अनुदान राशि किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष के लाभ क लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

5. अनुदान राशि शासकीय इमारतों की मरम्मत, परिवर्धन और परिवर्तन तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए सामग्री क्रय करने हेतु भी स्वीकृत की जा सकेगी।

6. निर्माण कार्यों के लिये घोषित अनुदान की राशि स्थानीय निकाय को उपलब्ध की जाएगी।

7. अनुदान अनावर्ती प्रकार का होगा। शासन पर आवर्ती दायित्व नहीं होगा।

8. अनुदान का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया हो तो अनुदान की राशि लैप्स हो जाएगी। व्यय की स्थानीय लेखा संपरीक्षा की जाएगी।

06. कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्रीगण के लिए जिला स्तर पर विभागवार योजना एवं गतिविधियों की अद्यतन जानकारी रखेंगे। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिलों को जो आवंटन प्राप्त होता है, उसके व्यय की मानिटरिंग प्रभारी मंत्रीगण जनसंपर्क दौरे के समय कर सकेंगे।

07. कमिश्नर/कलेक्टर को राज्य शासन द्वारा जो प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं, उनसे जिले के प्रभारी मंत्रीगण को अवगत कराया जाए, ताकि जिले में भ्रमण के दौरान इस बात की समीक्षा कर सकें कि इन अधिकारियों द्वारा ऐसे अधिकारों को समुचित उपयोग किया जा रहा है।

08. जनसंपर्क दौरे के दौरान निर्माण कार्य तथा स्थानीय मामलों के संबंध में प्राप्त आवेदन एवं शिकायत कलेक्टर को भेजी जाए। इन आवेदन एवं शिकायतों पर कलेक्टर द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाए। इनके निराकरण का अनुसरण जिला जन–शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा।

09. अन्य आवेदन/शिकायतें राज्य स्तर पर जन शिकायत निवारण विभाग को भेजी जाए। जन शिकातय निवारण विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण का अनुश्रवण किया जावेगा।

10. शासन द्वारा विकास विभागों से बहुत से कार्य पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को दिए गए हैं। मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरे के समय आम जनता द्वारा ऐसे कार्यों के बारे में बहुत सी मांगे एवं शिकायत मंत्रीगण के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। मौके पर इनके निराकरण निर्देश एवं मार्गदर्शन देने की आवश्यकता को देखते हुए जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रभारी मंत्री के जिले के भ्रमण के दौरान उनके साथ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनसंपर्क दौरे के समय पंचायतों को सौंपे गए कार्य/अधिकारों के दायरे में आने वाली विषय–वस्तु पर घोषणा न की जाए अथवा ऐसी घोषणा सशर्त हो ताकि आवश्कयतानुसार ग्राम सभा और पंचायतों के प्रस्तावों के उपरांत ही उन पर कार्यवाही की जा सके।

11. मान0 मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरे के अवसर पर जिला स्तर एवं अन्य निचले स्तर के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए परंतु यह एहतियात रखना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं की बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

12. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरूद्ध जिले के प्रभारी मंत्री को प्राप्त शिकायतों पर कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा की जाए।

13. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रभारी मंत्री द्वारा प्रशासकीय विभाग के मंत्रियों को भेजे जाएँ तथा प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी को भेजी जाए। विभागीय मंत्री द्वारा इन पर कार्यवाही की जाए।

14. स्थानांतरण एवं नियुक्ति संबंधी आवेदन जनसंपर्क दौरे के समय न लिए जाएँ।

2. मध्यप्रदेश के संसद सदस्य (लोक सभा) के जनसंपर्क दौरे अनुदान की व्यवस्था एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। सभी जिला कलेक्टर इस मद में दिए गए आवंटन की अव्ययित राशि तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित करें।

3. यह स्वीकृति ज्ञाप वित्त विभाग के पृ0क्रमांक 1144/एस.आर.805/चार/ब–9/97, दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/–
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ.ए. 8–1/96/एक(1) भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 1997/17 अक्टूबर, 1997

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित, अतिरिक्त प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।

2. शासन, समस्त विभाग, भोपाल।

3. सचिव, राज्यपाल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश।

6. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

7. निज सचिव, मान0 मुख्यमंत्री/मान0 मंत्रीगण/मान0 राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश।

8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

9. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।

10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

(बी0आर0 कोवले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

<u>महत्वपूर्ण</u>

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन – 462004

क्रमांक एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिए प्रावधानित राशि के संबंध में।

––––

माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 97 तथा 29 अप्रैल, 2000 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। दिनांक 17 अक्टूबर, 97 के निर्देश में कंडिका–4 में 2.00 लाख रूपये प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिए राशि निर्धारित की गई है। इस राशि में वृद्धि कर इसे प्रति विधान सभा क्षेत्र 2.25 लाख रूपये निर्धारित किया जाता है। इस परिवर्तन के क्रम में सांसद की अनुशंसा पर स्वीकृति की जाने वाली राशि रूपये 25.00 हजार से बड़ा कर 50.00 हजार की जाती है। शेष निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

कृपया मान0 मंत्रिगणों के जनसंपर्क दौरों के संबंध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभग की सहमति डी0ओ0 क्रं0 419/791/डी.एस./बी–8, दि0 21.04.2005 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/–
(एन0पी0 करंजिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2005

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, राज्यपाल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित, अतिरिक्त प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।

4. शासन, समस्त विभाग, भोपाल।

5. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश।

6. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

7. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।

7. निज सचिव, मान0 मंत्रीगण/मान0 राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश।

9. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।

10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

12. जनसंपर्क अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन – 462004

क्रमांक एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिए प्रावधानित राशि के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.04.05

–––

उपरोक्त विषयक संदर्भित ज्ञाप द्वारा माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरा अनुदान के अंतर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि रूपये दो लाख, पच्चीस हजार करने के निर्देश जारी किए गए हैं, के स्थान पर अब दो लाख पचास हजार पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/–

(एस0एस0 बंसल)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, राजभवन, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन – 462004

क्रमांक एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिए प्रावधानित राशि के संबंध में।

–––

मान0 मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरे के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 तथा 29 अप्रैल, 2000 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 के निर्देश की कंडिका 4 में 2.00 लाख रूपये प्रति विधान सभा क्षेत्र के लए राशि निर्धारित की गई है।

तत्पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2005 द्वारा मान0 मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरा अनुदान के संबंध में प्रति विधान सभा क्षेत्र में रू0 2.00 लाख के स्थान पर रूपये 2.25 लाख रूपये वृद्धि की गई थी एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा मान0 मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरा अनुदान के अंतर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि रूपये दो लाख पच्चीस हजार के स्थान पर रूपये दो लाख पचास हजार की वृद्धि की गई है। हब इस राशि में वृद्धि कर इसे प्रति विधान सभा क्षेत्र रूपये दो लाख पचास हजार के स्थान पर रूपये दो लाख पचहत्तर हजार निर्धारित किया जाता है। इस परिवर्तन के क्रम में सांसद की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये 50,000/– के बढ़ाकर रूपये 75,000/– की जाती है। शेष निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

2/ कृपया मान0 मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे के संबंध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3/ यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रं0 708/1055/06/बजध्अ–8, दिनांक 28.06.2006 द्वारा दी गई सहमति के परिपालन में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/–
(आर0आर0एस0 मरावी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ.ए. 8–3/04/एक(1) भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2006

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (बजट–8) मंत्रालय, भोपाल ।
3. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
4. शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
7. निज सचिव, मान0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग